मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
मंत्रालय, भोपाल
आदेश

भोपाल दिनांक 25/2/2019

क्रमांक एफ 5–10/2017/अ–73 : जिला स्तर पर उद्योगों में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड का गठन किया गया था। इसके संबंध में पूर्व में जारी समस्त समसंख्यक आदेशों को अधिक्रमित करते हुए राज्य शासन द्वारा जिला स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है:--

1.	संबंधित जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	संबंधित जिला प्रभारी, नगरीय विकास एवं आवास विभाग	शासकीय सदस्य
3.	संबंधित जिला प्रभारी, पर्यावरण विभाग	शासकीय सदस्य
4.	संबंधित जिला प्रभारी, श्रम विभाग	शासकीय सदस्य
5.	संबंधित जिला प्रभारी, ऊर्जा विभाग (प्रतिनिधि विद्युत वितरण कंपनी)	शासकीय सदस्य
6.	संबंधित जिला प्रभारी, वाणिज्यिक कर विभाग	शासकीय सदस्य
7.	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग	शासकीय सदस्य
8.	कार्यपालन संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डव्लपमेंट कार्पोरेशन (क्षेत्रीय कार्यालय)	शासकीय सदस्य
9.	संबंधित जिले के औद्योगिक व्यापार संघो के अध्यक्ष/सचिव	अशासकीय सदस्य
10.	जिले के एक इन्क्यूबेटर का प्रतिनिधि (कलेटर द्वारा नामांकित)	अशासकीय सदस्य

2/ उपरोक्त राज्य स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड के दायित्व निम्नानुसार होंगे:–

1. जिला स्तर पर उद्योगों में आने वाली कठिनाइयो का निराकरण
2. एमएसएमई उद्योगों के संवर्धन हेतु परामर्श एवं सुझाव
3. प्रदेश की एमएसएमई विकास नीति, स्टार्टअप नीति, सेक्टर आधारित औद्योगिक नीति तथा औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियमों के निर्धारण में परामर्श एवं सुझाव
4. एमएसएमई उद्योगों के संवर्धन हेतु लागू की गई नीतियो के क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी
5. पीपीपी आधार पर एमएसएमई औद्योगिक विकास की योजनाओं का चिंहांकन एवं क्रियान्वयन में भागीदारी
6. प्रशिक्षण व रोजगार में एमएसएमई उद्योगों की भूमिका का संवर्धन

3/ बोर्ड की बैठक प्रत्येक 03 माह में एक बार होगी। बैठको की संख्या आवश्यकतानुसार बढायी जा सकेगी।

4/ जिला स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड द्वारा उद्योग संवर्धन संबंधी अनुशंसाए राज्य स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड को प्रस्तुत की जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

पृ. क्रमांक एफ 5–10/2017/अ–73 भोपाल दिनांक 2[illegible]/2/2019

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग/पर्यावरण विभाग/श्रम विभाग/ऊर्जा विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग/औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग/सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
2. उद्योग आयुक्त उद्योग संचालनालय म.प्र. भोपाल।
3. समस्त संभागीय आयुक्त।

मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
मंत्रालय, भोपाल
संशोधित आदेश

भोपाल दिनांक 27 02 2019

क्रमांक एफ 5–10 / 2017 / अ–73 [illegible] विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 25.02.2019 में सरल क्रमांक 10 के पश्चात सरल क्रमांक 11 निम्नानुसार जोड़ा जाता है–

11	संबंधित महाप्रबंधक जिला [illegible] एवं उद्योग केन्द्र	शासकीय सदस्य (सचिव)

2/ आदेश में "उद्योगों" से आशय "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम" से है।
3/ शेष यथावत रहेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
भोपाल दिनांक 27/02/2019

पृ. क्रमांक एफ 5–10 / 2017 / अ–73

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग / पर्यावरण विभाग / श्रम विभाग / ऊर्जा विभाग / वाणिज्यकर विभाग / औद्योगिक नीति एवं निवेश सर्वधन विभाग / सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग मंत्रालय [illegible] भवन भोपाल।
2. उद्योग आयुक्त उद्योग संचालनालय म.प्र. भोपाल।
3. समस्त संभागीय आयुक्त
4. समस्त जिला कलेक्टर।
5. समस्त संयुक्त उद्योग संचालक, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय।
6. समस्त महाप्रबंधक जिला [illegible] एवं उद्योग केन्द्र।
7. उप संचालक जनसंपर्क (मंत्रालय प्रकोष्ठ)
8. समस्त संबंधित जिला [illegible] संघ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग